


30.9.2021

प्रार्थी अपीलार्थी के वकील उपस्थित। परोकार सरकार उपस्थित। प्रार्थी अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए अपीलार्थी द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुआ विलम्ब सद्भावनापूर्ण होना पाया जाता है। अतः प्रार्थी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम को स्वीकार अपीलार्थी द्वारा तहसीलदार, रेवदर के निर्णय दिनांक 10.11.2020 के विरुद्ध अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब की अवधि को कन्डोन किया जाता है। निर्णय सुनाया गया। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नंबर से कम हो एवं मूल अपील पत्रावली के साथ नत्थी हो।


अतिरिक्त जिला कलक्टर,
सिरोही

